संख्या- 47 /2026 / 294 /चार-2026- 2015935

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक: 06 फरवरी, 2026**

विषय:- माह फरवरी, 2026 में 39वें सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले-2026 के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4115/सं0नि0-19(सू0अ0शि0मे0)/2025-26 दिनांक 22 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या- 374178/726568/सूरजकुण्ड/ ट्रै0 टे0/2025 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के क्रम में अवगत कराया गया है कि दिनांक 31.01.2026 से 15.02.2026 तक 39वें सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले-2026 का आयोजन सूरजकुण्ड मेला ग्राउण्ड, फरीदाबाद में किया जाना है जिसमें इस वर्ष पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थीम स्टेट के रूप में प्रतिभाग किया जाना है। इस क्रम में 39वें सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले-2026 के आयोजन के अवसर पर उ0प्र0 की कला, लोकगायन, नृत्य आदि की प्रस्तुति हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फैशन शो किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले-2026 में संस्कृति विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यक्रम एवं कलाकारों का निम्नवत् विवरण उपलब्ध कराया गया है:-

सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला-2026 में प्रतिभागी कलाकरों के मानदेय एवं किराया पर व्यय

क्र0 सं0	दल प्रमुख का नाम	मोबाईल नं0	अवधि	विधा का नाम	संख्या	मानदेय	किराया	कुल योग
1	श्री गीत कृष्ण, मथुरा।	9634153641	31.01.2026 से 07.02.2026 तक (08 दिन)	मयूर लोकनृत्य	15	1,80,000	10,000	1,90,000
2	श्री मुकेश कुमार, अयोध्या।	8933882573		फरूवाही लोक नृत्य	15	1,80,000	40,000	2,20,000
3	श्री रिंकू राना, पीलीभीत।	9528417757		थारू लोक नृत्य	15	1,80,000	24,000	2,04,000
4	सुश्री संगमलता, अयोध्या।	9616677130	08.02.2026 से 15.02.2026 तक (08 दिन)	बधावा लोक नृत्य	15	1,80,000	40,000	2,20,000
5	श्री बूटी थोल, चित्रकूट।	9695465619		राई लोक नृत्य	15	1,80,000	42,000	2,22,000
6	सुश्री तनु सोनकर, प्रयागराज।	9616285279		ढेढ़िया लोक नृत्य	15	1,80,000	43,000	2,23,000
7	श्री हेमंत ब्रजवासी, मथुरा। (विशिष्ट कलाकार)	9761796751	02.02.2026	लोक गायन	10	3,50,000	25,000	3,75,000
	योग (रूपये सोलह लाख चौवन हजार मात्र)				100	14,30,000	2,24,000	16,54,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 31.01.2026 से 15.02.2026 तक 39वें सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले-2026 में विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों के मानदेय व किराये पर होने वाले व्यय **रू0 16.54 लाख (रूपये सोलह लाख चौवन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
https://shasanadesh.up.gov.in